



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603]
No. 1603]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2008/कार्तिक 23, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2008/KARTIKA 23, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

का.आ. 2661(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा ।
2. (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 5 के उप-नियम (2) के परंतुक (ख) में,—

(i) पहले परंतुक के उपरांत निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“किन्तु यह और कि हस्तशिल्प हेतु अनन्य रूप से विशेष आर्थिक जोन की स्थापना का प्रस्तावना हो तो उसके लिए क्षेत्र दस हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होगा ।”

(ii) दूसरे परंतुक में “किन्तु यह और” शब्द के स्थान पर “किन्तु यह भी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. सी. 2/2/2008—एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10 फरवरी, 2006 की सं. सा.का.नि. 54(अ) के तहत और तदुपरांत दिनांक 10 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ) के तहत तथा दिनांक 16 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 393(अ) एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1744(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2008

S.O. 2661(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2008.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 5, in sub-rule (2), in clause (b),—
 - (i) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
“provided further that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up exclusively for handicrafts, the area shall be ten hectares or more:”;
 - (ii) in the second proviso, for the words “provided further”, the words “provided also” shall be substituted.

[F. No. C. 2/2/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th day of February, 2006 and subsequently (i) *vide* notification number G.S.R. 470(E), dated the 10th day of August, 2006 and *vide* notification number G.S.R. 393(E), dated the 16th day of March, 2007 and *vide* Notification number G.S.R. 1744(E), dated the 12th day of October, 2007.